

तारीख हुक्म

12/01/56

पञावली पेशा हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। पञावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवाजें लगाई जाने के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। लिहाजा पञावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पञावली फैसल नुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली